



राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुलतान हॉऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर I)

Website:- <http://rajasthanparamedicalcouncil.org>

Email id- rajasthanparamedicalcouncilgov@gmail.com

क्रमांक: रा.एस.ए.एच.सी./परीक्षा/2025/558

अति-आवश्यक/द्वारा ई-मेल
दिनांक: 15.07.2025

समस्त प्रधानाचार्य

पैरामेडिकल (राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर)

संस्थान/कॉलेज

राजस्थान

विषय:- वर्ष 2024-25 में आयोजित करवाई गई परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नाम से जारी मूल-अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्रों को संशोधित कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, (परिवर्तित नाम-राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर) जयपुर के नाम से पुनः जारी करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कौंसिल के पत्र क्रमांक 535 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा 2024-25 में आयोजित करवाई परीक्षाओं में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नाम से मूल-अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र वितरित किये गये थे, को आपके संस्थान/कॉलेज की ओर से भेजे गये विशेष वाहक (प्रतिनिधि) के द्वारा उपरोक्त सभी दस्तावेज मूल ही प्राप्त कर संशोधित मूल-अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र कौंसिल से प्राप्त करने हेतु आपको अवगत करवाया गया था।

इस हेतु आप द्वारा संग्रहित किये गये मूल दस्तावेजों की सूचि कार्यालय में आने से तीन दिवस पूर्व ही Email (exam@rsahcouncil.org) पर सूचित करें तथा कौंसिल कार्यालय में आने की दिनांक व समय से भी अवगत करावें ताकी उपरोक्त दस्तावेजों को लेने और देने में कोई असुविधा ना हो

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2024-25 में आयोजित करवाई परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण की मूल-अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जो राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल जयपुर के नाम से थी, को कौंसिल में जमा कराकर उसके स्थान पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, (परिवर्तित नाम- राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर) जयपुर के नाम से जारी संशोधित दस्तावेज प्राप्त करने हेतु आपके संस्थान/कॉलेज में कार्यरत प्रतिनिधि (संस्थान कि आई.डी के साथ) भेजे साथ ही आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं की आप जिस भी प्रतिनिधि को भेजे उसे आपके द्वारा नामित (Authorise) किया जाकर संस्थान/कॉलेज में कार्य करने का परिचय-पत्र (ID Proof) भी आपके द्वारा जारी किया हुआ हो। उपरोक्त दस्तावेज कौंसिल कार्यालय द्वारा दिनांक 21.07.2025 से वितरित किये जावेगे।


(उत्तम सिंह शेखावत)

आर. ए. एस

सचिव

क्रमांक: रा.एस.ए.एच.सी./परीक्षा/2025/558

दिनांक: 15.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर


सचिव